



बृज बिहारी हत्याकांड:मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद

सूरजभान सिंह समेत 6 रिहा, हाईकोर्ट का फैसला पलटा

नई दिल्ली। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं शीर्ष अदालत ने मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ??मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।



15 दिनों के अंदर करें सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव
खन्ना, जस्टिस संजय कुमार



और जस्टिस आर महादेवन की
बेंच ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने मुन्ना शुक्ला और



मंदू तिवारी को उम्रकैद की
फैसला सुनाते हुए इन्हें 15 दिनों
के अंदर सरेंडर करने के लिए

कहा है।

सबूतों के अभाव में हाईकोर्ट ने किया था बरी
बिहार सरकार में साईंस और टेक्नोलॉजी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्कांड में पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में सबूतों के अभाव में मुन्ना शुक्ला, सूरजभान, राजन तिवारी सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील पर 22 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मंदू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ ??मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2014 को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद सूरजभान सिंह उर्फ ??सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंदू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसने अधीनस्थ अदालत के 12 अगस्त 2009 के उस आदेश को खारिज कर

दिया, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
कैसे हुआ था मर्डर?
13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या राजधानी पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कर दी गई थी। उस वक्त कड़ी सुरक्षा के बीच बृज बिहारी प्रसाद इस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। यूपी के डॉन श्रीप्रकाश शुक्ला ने एके-47 से गोलियां बरसाकर बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पटना में सड़क हादसे में पिता पुत्र सहित 3 की मौत

एक ही बाइक पर सवार थे सभी

पटना। पटना के फतुहा में शुक्रवार (04 अक्टूबर) की सुबह एक सड़क हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। घटना फतुहा के मकसूदपुर गांव स्थित गांधी टोला के पास पटना-बख्तियारपुर स्टेट हाईवे की है। किसी बड़े वाहन ने बाइक को टक्कर मारी जिससे यह हादसा हो गया। बाइक सवार लोगों को टक्कर मारने के बाद उन्हें कुचलते हुए गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी देते



हुए फतुहा थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि स्थानीय लोगों से ही सूचना मिली थी कि सुबह 7:30 बजे के आसपास एक ही बाइक पर सवार तीन लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि

किसी बड़े वाहन ने बाइक सवार लोगों को कुचला है।
बाइक सवार तीनों मृतकों की हुई पहचान
बताया जाता है कि जिस बाइक पर तीन लोग थे उसके नंबर से पहचान की गई। मरने वालों में 50 वर्षीय गंगा राय और 22 वर्षीय

राहुल कुमार हैं। ये दोनों पिता-पुत्र हैं। ये लोग फतुहा के रुकनपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं बाइक पर सवार तीसरे व्यक्ति की पहचान 30 वर्षीय युवक रविशंकर प्रसाद के रूप में की गई है। वो पास के महमदपुर गांव का रहने वाला था। राजमिस्त्री का काम करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा राय किसान थे। गांव में ही उनका नया घर बन रहा है। उसके लिए ईंट लाने के लिए अपने बेटे और मिस्त्री के साथ खसूरपुर जा रहे थे। इसी दौरान मकसूदपुर के पास यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन थाने पर पहुंच गए। घटना के बाद से मृतकों के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूजा के उत्सवी माहौल में इस तरह के हादसे से इलाके में सनाटा पसर गया है।

मौसम विभाग ने 4 जून को जारी किया बारिश का अलर्ट

पटना। भले ही महीना अक्टूबर का हो, लेकिन ना तो बारिश रुक रही है और ना ही गर्मी कम हो रही है। ऐसे में लोगों को दोनों से जूझना पड़ रहा है। किसानों को बारिश से परेशानी हो रही है तो आम जनमानस को गर्मी से। किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता है। किसानों को इस बात की टेंशन है कि इंद्र भगवान पता नहीं कब मानेंगे और बारिश थमेगी। इस बीच मौसम विभाग

ने बताया है कि आने वाले दिनों में बारिश जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने 4 जून को बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट 20 जिलों के लिए जारी की गई है। बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार मानसून 15 अक्टूबर तक एक्टिव रह सकता है। क्योंकि उत्तर पूर्व में चक्रवातीय

परिसंचरण बन रहा है। शुक्रवार शाम तक कई जिलों में बारिश की संभावना है।
दुष्ख ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले दो दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने

बताया है कि 4 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार में एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि राज्य के पूर्वी भाग के एक या दो स्थानों में मेघगर्जन और वज्रपात होने की संभावना है।

बिहार में राजनीतिक हलचल तेज

सीएम नीतीश की अध्यक्षता में JDU राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक कल

बिहार के राजनीतिक हालात और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बैठक बुलाई गई है। जनता दल यू ने राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक कल 5

अक्टूबर को जनता दल यू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में होगी। पटना में कल जेडीयू कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अहम दल यू ने राज्य कार्यकारिणी के मुताबिक जेडीयू 120 सीटों पर दावा

ठोकने की तैयारी में है। जेडीयू के लोगों का दावा है कि इस बार वर्ष 2010 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसकी तैयारी करना भी लाजमी है। माना जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर भी जेडीयू के शीर्ष नेता कुछ फैसला करेंगे।

रोहतास में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष

दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग गंभीर रूप से घायल



रोहतास। बिहार के रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के नीमडीहरा में बुधस्परतिवार को जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई। इस घटना में लाठी-डंडों का भी उपयोग किया गया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम राजू यादव है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल मारपीट की इस घटना का लाइव

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने खड़े हैं और अचानक मारपीट शुरू हो जाती है। इस दौरान चीख-पुकार मच जाती है, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ जाते हैं। राजू यादव के पिता ने बताया कि यह विवाद उनके पाटीदार से चल रहा था। उन्होंने कहा कि पहले तू-तू, मैं-मैं हुई और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों का उपयोग किया गया।

इस घटना में राजू के अलावा चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वहीं इस मामले में करगहर थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही करगहर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने करगहर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है। घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है और स्थानीय लोग इस गंभीरता को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे विवादों

को बातचीत के जरिए सुलझाएं और कानून अपने हाथ में न लें।
जमीन विवाद को लेकर ही होते हैं कई मामले
बता दें कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक मामले जमीन विवाद और आपसी रंजिश को लेकर ही होते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध का कारण एक जमीन विवाद भी है, जिसे कई बार सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। सरकार का कहना है कि बिहार में शुरू किए गए जमीन सर्वे के बाद ऐसे मामलों में काफी हद तक कमी आएगी।